बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

अधि०सं० :– 2/अ0प्र0–4–08/2017(खण्ड) 724 /पटना, दिनांक :– 6.3.2020

ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत पथों का निर्माण के उपरान्त पथों के अनिवार्य पंचवर्षीय अनुरक्षण का प्रावधान लागू है। इस अनिवार्य पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रामीण पथों के सुधार, मरम्मत तथा पुनः पंचवर्षीय अनुरक्षण के लिए बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2013 लागू था, जिसके तहत अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्पर्कता प्रदान करने वाले पथों को श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 में वर्गीकृत कर प्राथमिकता के आधार पर इन पथों की मरम्मत एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कराया जाता था। सभी ग्रामीण पथों के नियमित एवं व्यवस्थित अनुरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए पूर्व में लागू बिहार ग्रमीण पथ अनुरक्षण नीति 2013 ग्रामीण पथों के नियमित एवं अनिवार्य अनुरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं रह गयी। फलस्वरूप ग्रामीण पथों के अनुरक्षण के लिए संकल्प ज्ञापांक 5227 दिनांक 12.11.2018 द्वारा नयी नीति बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 लागू की गयी। यह ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन सभी ग्रामीण पथों पर लागू होगी। इस नीति के तहत अनुरक्षण कार्य के अनुश्रवण की व्यवस्था पूर्णरूपेण ऑनलाईन एवं MIS आधारित होने तथा यह प्रणाली भुगतान प्रक्रिया के साथ एकीकृत होने की व्यवस्था की गयी। निर्धारित समय सीमा (Response Time) में वांछनीय सर्विस लेवल पर पथों का अनुरक्षण नहीं किये जाने पर भुगतान में कटौतियाँ एक स्कोरिंग मिट्रिक्स (Scoring Matrix) अनुसार की जायेगी, जो MIS से एकीकृत होगी।

2. वाद संख्या–1/लोक (ग्रा0का0वि0) 10/2011 में माननीय सदस्य (न्यायिक), लोकायुक्त बिहार द्वारा दिनांक 07.12.2018 को ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत ग्रामीण पथों के अनुरक्षण के संबंध में पारित आदेश के आलोक में बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी मार्गदर्शिका (Technical Guidelines) प्रकाशित की गयी, जिसे अधिसूचना संख्या–1516 दिनांक 29.05.2019 द्वारा अधिसूचित किया गया।

3. पुनः इस मामले में माननीय सदस्य (न्यायिक), लोकायुक्त बिहार द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित Technical Guidelines की दिनांक 31.05.2019 को समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश प्राप्त हुएः–

As with regard to issuance of guidelines by way of Bihar Rural Road maintenance Policy, 2018, vide notification no. 1516 dated 29-05-2019 but then the Institution of Lokayukta would find that some specific observations made in the order dated 07-12-2018 have not at all been addressed to in letter and spirit.

In this matter by the institution of Lokayukta, things have not yet been fully addressed to as a result whereof the efforts of the Institution of Lokayukta as with regard to fixing responsibility and accountability of the officers and engineers has still remained elusive in absence of an effective and much needed response from the competent authority of Rural Works Department.

4. उपर्युक्त के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत ग्रामीण पथों के अनुरक्षण के संबंध में निम्नरूपेण मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किये जाते हैं:–

(i) बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के क्रियान्वयन के लिए प्रकाशित तकनीकी मार्गदर्शिका (Technical Guidelines) में निहित प्रावधानों का तथा अनुरक्षण कार्य से संबंधित एकरारनामा के प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाय।

(ii) संबंधित कार्यपालक अभियंता संवेदक द्वारा समर्पित कार्य योजना को अनुमोदित करेंगे तथा एकरारनामा एवं कार्य योजना के अनुरूप अनुरक्षण कार्य का क्रियान्वयन ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) एकरारनामा के तहत कार्य योजना के अनुसार अनुरक्षण कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में एकरारनामा में अंतर्निहित GCC (General Conditions of Contract) एवं SCC (Special Conditions of Contract) की कंडिकाओं के आलोक में नोटिस दिया जायेगा। तत्पश्चात् अनुरक्षण कार्य नहीं किये जाने या शिथिलता बरतने पर एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के तहत एकरारनामा विखंडन एवं अन्य वांछित कार्रवाई की जायेगी। साथ ही साथ संवेदक के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली के तहत कार्रवाई हेतु विभाग को अनुशंसा करेंगे।

(iv) संबंधित अभियंताओं द्वारा संवेदक द्वारा किये गये कार्य का सतत् निरीक्षण किये जाने हेतु विभागीय निदेश है। पर्यवेक्षण प्रणाली में कनीय अभियंता स्तर से मुख्य अभियंता स्तर तक के पदाधिकारी का निरीक्षण कर्त्तव्य निर्धारित है, जिसका अनुपालन किया जाना संबंधित अभियंताओं का दायित्व है। निरीक्षण प्रणाली का अनुश्रवन विभाग के स्तर पर किया जाना है। संबंधित निरीक्षण प्रणाली विभागीय पत्रांक 6233 अनु0 दिनांक 27.11.2019 द्वारा अनुरक्षण कार्य का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु निर्गत है।

(v) संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं करने अथवा निम्न गुणवत्ता का कार्य कराए जाने की स्थिति में संवेदक के विरूद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर इसके लिए संबंधित अभियंता पूर्णरूपेण जबावदेह होगें।

(vi) पथ में अनुरक्षण कार्य के दौरान कोई भी व्यवधान/प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अभियंता इससे अपने उच्चतर पदाधिकारी को अवगत कराते हुए समाधान करने का प्रयास करेंगे।

5. उक्त कंडिका–4 का उल्लंघन अनियमितता एवं कदाचार माना जाऐगा एवं इसके लिए संबंधित अभियंताओं/पदाधिकारियों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत कंडिकाओं के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

6. इस आदेश का प्रकाशन राज्य से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी, हिन्दी एवं उर्दू समाचार पत्रों में किया जाएगा।

7. उपरोक्त पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6/2/2020

(मनोज कुमार)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–08/2017(खण्ड) 724 /पटना, दिनांक :– 6.3.2020

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव 6/3/2020

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–08/2017(खण्ड) 724 /पटना, दिनांक :– 6.3.2020

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी, पी0आर0डी0, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को इस आदेश का प्रकाशन राज्य से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी, हिन्दी एवं उर्दू समाचार पत्रों में किये जाने हेतु प्रेषित।

उप सचिव 6/3/2020